न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर0सं0ः–488/2020

ओबरा थाना कांड संख्या ः–146/2020

10.09.2020 उक्त वाद में जप्त ट्रक निबंधन संख्या–UP21CN6466 का स्वामी अब्दुल रउफ की ओर से ई–फायलिंग के तहत उपस्थिति पत्र के साथ उपरोक्त वाहन की मुक्ति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–06.07.2020 को संचालित किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई ।

आवेदक के विद्वान उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि उपरोक्त वाहन को आवेदक के पक्ष में मुक्त किया जाय ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है RTO मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) के द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–06.07.2020 का अनुपालन न करते हुए उक्त वाहन का स्कीन प्रतिवेदन समर्पित नही किया गया है । अतः RTO मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) को **स्मारित** करते हुए निर्देश दिया जाता है कि ट्रक निबंधन संख्या–UP21CN6466 का स्कीन प्रतिवेदन दिनांक–18.09.2020 तक समर्पित करें। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की छायाप्रति सम्बन्धित जिला परिवहन पदाधिकारी को भेंजे ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।